भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1163
उत्तर देने की तारीख : 16.12.2013

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के अंतर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

1163. डा॰ कनवर दीप सिंह :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन एम डीए एफ सी) पश्चिमी बंगाल में अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षित करने हेतु व्यावसायिक और कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) इस राज्य में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों को आयोजित करने में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा कितनी राशि खर्च की गई;
(घ) क्या मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदाय की और अधिक महिलाओं की शिक्षा पर बल दे रहा है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री **(श्री निनोंग ईरींग)**

(क) से (ग) : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपनी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण सहित कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। यह योजना राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एसीए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं जो मजदूरी/स्व–रोजगार की संभाव्यता वाले केंद्रों में स्थानीय सरकार के स्वामित्वाधीन/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से आवश्यकता आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की 6 महीनों की अवधि वाले पाठ्यक्रमों के लिए प्रति अभ्यर्थी/प्रतिमाह 2000/- रुपये तक की लागत आती है और प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमाह 1000/- रुपये की दर से प्रशिक्षण के दौरान वजीफा भी दिया जाता है।

इसके अलावा, एनएमडीएफसी रोजगार योग्य कौशलों के उन्नयन हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 'सीखो और कमाओ (Learn and Earn)' योजना भी कार्यान्वित करता है।

(घ) से (ङ) पश्चिम बंगाल में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना बंगाल अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (डब्लयूबीएमडीएफसी) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक आबादी हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार दर्शाया गया हैः–

वर्ष	प्रशिक्षुओं की संख्या	मंजूर की गई राशि (लाख रुपये में)
2010-11	1870	65.79
2011-12	1090	57.60
2012-13	1636	72.47
2013-14	-	0.00

(घ) तथा (ङ) : मंत्रालय ने अपनी सभी छात्रवृत्ति योजनाओं नामतः मैट्रिक–पूर्व, मेट्रिकोत्तर, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30% निर्धारित किया है। अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत, छात्राओं हेतु छात्रवृत्तियों का 30% निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, मेघावी छात्राओं की पहचान करने, उन्हें बढ़ावा देने तथा सहायता करने के लिए, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठाना (एमएईएफ) अल्पसंख्यकों से संबंधित बालिकाओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना नामक योजना क्रियान्वित करता है।

*****